प्रभुदयाल बनाम पप्पू

T.I

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर ... अहलका... हुक्म ... पे जा...
15-3-2024	वकील उभयपक्ष उप०। प्रतिवादी पप्पू की ओर से प्रा०पत्र तहत आदेश 7 नियम 11 C.P.C. प्रस्तुत हुआ। वास्ते जवाब प्रा०पत्र पत्रावली दि० 26-3-2024 को पेश हो।	
26-3-24	वकील उभयपक्ष उप०। वकील प्रार्थी प्रा०पत्र आदेश 7 नियम 11 C.P.C. का जवाब प्रस्तुत करने को समय चाहते है। वास्ते जवाब दर० व बहस दर० पत्रावली दि० 1-4-2024 को पेश हो।	
1-4-2024	वकील उभयपक्ष उप०। वकील प्रार्थी ने प्रा०पत्र आदेश 7 नियम 11 C.P.C. का जवाब प्रस्तुत किया। वास्ते बहस दर० पत्रावली दि० 2-4-2024 को पेश हो।	
2-4-2024	वकील उभयपक्ष उप०। प्रा०पत्र O7 R11 C.P.C. पर बहस सुनी गई। वास्ते निर्णय पत्रावली दि० 3-4-2024 को पेश हो।	
3-4-2024	वकील उभयपक्ष उप०। प्रा०पत्र O7R11 C.P.C. स्वीकार किया जाकर दावा वादी खारिज किया जा चुका है। तदनुसार T.I. प्रा०पत्र भी खारिज किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखा जाकर पत्रावली में शामिल किया गया। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील मूल वाद के साथ संलग्न रहे। उपखण्ड अधिकारी गंगापुर सिटी (स०मा०)	

नम्बर व ...
अहकाम ...
हुक्म की ...
में जारी

निर्णय न्यायालय श्री अनूप सिंह, आर0ए0एस0, उप जिला कलक्टर एवं उप जिला मजिस्ट्रेट गंगापुर सिटी जिला गंगापुर सिटी

मुकदमा नम्बर		तारीख रजू	तारीख निर्णय
152/2019	दावा	17.12.2019	3.4.2024
14/2024	टी0आई0	2.2.2024	3.4.2024

प्रभुदयाल बनाम नारायण वगैरा

दावा घोषणां खातेदारी, इन्द्राज दुरूस्ती एवं स्थाई निषेधाज्ञा

प्रभुदयाल बनाम पप्पू बैरवा वगैरा

प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सी0पी0सी0.

उपस्थित :– श्री हर्षवर्धन शर्मा, एडवोकेट वादी की ओर से

श्री गजेन्द्र कुमार सैनी,एडवोकेट, प्रतिवादी पप्पू की ओर से

निर्णय

उपरोक्त उनवानी दावा एवं प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा में प्रतिवादी पप्पू बैरवा ने दिनांक 15.3.2024 को प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सी.पी.सी. इस आशय का प्रस्तुत किया कि वादी द्वारा गलत तथ्यों के आधार पर मौजूदा दावा, प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा प्रस्तुत किया है। भूमि ख0नं0 59, 60 को रंगलाल पुत्र पून्या द्वारा कन्हैया पुत्र घमण्डी को तथा कन्हैया ने महेन्द्र पुत्र रंगलाल को जरिए रजिस्टर्ड विक्रय कर दिया ऐसी स्थिति में उक्त विक्रय पत्रों को भूमि ख0नं0 59, 60 की हद तक प्रभाव शून्य होने योग्य है तथा अपने वादपत्र के अनुतोष में मुख्य अनुतोष "क" में उक्त विक्रय पत्र को प्रभाव शून्य घोषित किए जाने का अनुतोष चाहा गया है। वादी कभी भी भूमि के खातेदार नहीं रहे एवं वादपत्र में वर्णित रजिस्टर्ड विक्रय पत्रों को शून्य एवं प्रभावहीन घोषित किए जाने का अधिकार क्षेत्र माननीय न्यायालय को नहीं होकर माननीय सिविल न्यायालय को है। राजस्थान सरकार द्वारा भी अपने परिपत्र में राजस्व मण्डल अजमेर एवं अन्य राजस्व न्यायालय को इस आशय का परिपत्र भी प्रेषित कर रखा है तथा राजस्थान टीनेन्सी एक्ट की धारा 207 में रजिस्टर्ड विक्रय पत्र को प्रभावहीन एवं प्रभाव शून्य घोषित करने का कोई क्षेत्राधिकार घोषित नहीं कर रखा है ऐसी स्थिति में मौजूदा दावा सुनने का अधिकार माननीय सिविल न्यायालय को है। वादी ने वादपत्र में वस्तु स्थिति को छिपाते हुए यह दावा प्रस्तुत किया है। वादग्रस्त भूमि ख0नं0 59, 60 में 1/2 हिस्सा रंगलाल पुत्र पून्या का व 1/2 हिस्सा लालाराम पुत्र सुरज्ञान का रहा है। सुरज्ञान व लालाराम द्वारा अपने 1/2 हिस्से को तोहफादेवी को जरिए रजिस्टर्ड विक्रय पत्र विक्रय कर दिया, तोहफादेवी द्वारा अपने 1/2 हिस्से को दिनांक 11.1.2010 को श्यामलाल को तथा शेष 1/4 हिस्से को मोहनलाल को दिनांक 11.1.2010 को विक्रय कर दिया। मोहनलाल द्वारा दि0 11.1.2013 को

उपखण्ड अधिकारी
गंगापुर सिटी (राज0)

अपने 1/4 हिस्से के 5/32 हिस्से को धन्नालाल को विक्रय कर दिया तथा धन्नालाल द्वारा उक्त हिस्से को दिनांक 16.9.2022 को मिनप्रतिवादी पप्पू को विक्रय कर दिया तथा इसी प्रकार कन्हैयालाल द्वारा अपने हिस्से की 1/2 भूमि में से 1/2 हिस्सा महेन्द्र को तथा सम्पूर्ण का 1/4 हिस्सा बदरी को दिनांक 11.5.2012 को विक्रय कर दिया। महेन्द्र एवं बदरी द्वारा अपने हिस्से को पप्पू बैरवा को दिनांक 12.8.2022 व 22.8.2022 को विक्रय कर दिया तथा वादी द्वारा वादपत्र की चरण संख्या 4 में अन्य प्रतिवादीगण को विक्रय किए गए रजिस्टर्ड विक्रय पत्र को प्रभावहीन एवं शून्य घोषित किए जाने का अनुतोष चाहा है। ऐसी स्थिति में समस्त विक्रय पत्रों को प्रभावहीन एवं शून्य घोषित करने का अधिकार माननीय न्यायालय को नहीं होकर माननीय सिविल न्यायालय को है। ऐसी स्थिति में उक्त विक्रय पत्रों के अस्तित्व में बने रहने से वादी के हक में खातेदारी अधिकारों की घोषणां नहीं की जा सकती ऐसी स्थिति में सक्षम सिविल न्यायालय में ऐसे विक्रयपत्रों को निरस्त कराए बिना वादी का यह दावा चलने योग्य नहीं है। अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थना पत्र प्रतिवादी स्वीकार फरमाया जाकर वादी का दावा व टी0आई0 प्रार्थना पत्र क्षेत्राधिकार के अभाव में खारिज फरमाया जावे।

वादी द्वारा उपरोक्त दोनों प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सी.पी. सी. के जबाब में अंकित किया है कि प्रतिवादी ने निराधार प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किए हैं। वादी का दावा घोषणां खातेदारी, दुरूस्ती इन्द्राज व स्थाई निषेधाज्ञा का है जो राजस्थान टीनेन्सी एक्ट की धारा 88, 188, 207 के अन्तर्गत प्रस्तुत किया गया है। वादपत्र में वादी ने विस्तार से भूमि में अपने हक व कब्जे का अंकन किया हैं वाद की विषयवस्तु के अनुसार माननीय राजस्व न्यायालय को शून्य एवं प्रभावहीन घोषित करने एवं वादी को भूमि का काबिज खातेदार घोषित करने का पूर्ण वैधानिक अधिकार प्राप्त है। प्रतिवादी द्वारा प्रार्थना पत्रों में अंकित किए गए तथ्य बाबत् क्षेत्राधिकार प्रस्तुत दावे में अंकित तथ्यों से भिन्न है। मामला सिविल न्यायालय द्वारा सुनवाई योग्य नहीं है। प्रतिवादी पप्पू ने अभी तक अपना जबाब प्रस्तुत नहीं किया है। प्रतिवादी का जबाब अपने के बाद प्रकरण में तनकियात कायम होंगी, उसके बाद साक्ष्य उपरान्त माननीय न्यायालय द्वारा तथ्यों व विधि के मिश्रित तथ्यों को निर्णिय किया जावेगा। इस स्टेज पर प्रस्तुत प्रार्थना पत्र चलने योग्य नहीं है। अतः जबाब प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सी0पी0सी0 खारिज फरमाए जावें।

प्रार्थना पत्रों एवं जवाब प्रार्थना पत्रों के समर्थन में पक्षकारान द्वारा कोई दस्तावेज प्रस्तुत नही किए गये है।

प्रार्थना पत्रों पर उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस सुनी गई।

उपखण्ड अधिकारी
गंगापुर सिटी (राज0)

प्रतिवादी पप्पू बैरवा के विद्वान अभिभाषक ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सी.पी.सी. के अनुरूप बहस करते हुए कहा कि वादी वादग्रस्त भूमि का कभी खातेदार नहीं रहा है। वादी ने अपने वादपत्र में तथ्यों को छिपाया है। वादग्रस्त भूमि का अनेकों बार रजिस्टर्ड विक्रय पत्रों के माध्यम से बेचान हुआ है एवं वादपत्र में वादी इन रजिस्टर्ड विक्रय पत्रों को प्रभावशून्य घोषित करने की रिलीफ चाहता है। वास्तव में वादी की इस रिलीफ के पीछे मंशा रजिस्टर्ड विक्रयपत्रों को निरस्त कराने की है। रजिस्टर्ड विक्रयपत्रों को प्रभावहीन एवं शून्य घोषित करने का क्षेत्राधिकार राजस्व न्यायालय को नहीं है बल्कि सिविल न्यायालय को है। अपने इस कथन के समर्थन में प्रतिवादी के अभिभाषक ने न्याय दृष्टान्त 2019 (1) सी0जे0(सिविल) (राज0) 165, 2021 (3) सी0जे0 (सिविल) (राज0) 1641, 2021 (1) सी0जे0 (सिविल) (राज0) 134, 2019 (3) सी0जे0 (सिविल) (राज0)1492, 2021 (1) सी0जे0 (सिविल) (राज0) 198 प्रस्तुत करते हुए प्रार्थनापत्र तहत आदेश 7 नियम 11 सी0पी0सी0 स्वीकार करने का निवेदन किया है।

वादी के अभिभाषक ने अपने जबाब के अनुरूप बहस करते हुए कहा कि दावा घोषणां खातेदारी एवं इन्द्राज दुरूस्ती का है जिसकी सुनवाई का क्षेत्राधिकार राजस्व न्यायालय को ही है। अपने कथन के समर्थन में वादी के अभिभाषक ने न्याय दृष्टान्त 2018(4)डी0एन0जे0(राज0) 1443 प्रस्तुत करते हुए प्रार्थना पत्र तहत आदेश 7 नियम 11 सी0पी0सी0 खारिज करने का निवेदन किया है।

बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख , प्रार्थना पत्र, जबाब प्रार्थना पत्रों एवं प्रस्तुत न्याय दृष्टान्तों का अवलोकन किया। प्रतिवादी ने अपने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सी0पी0सी0 में वादग्रस्त भूमि प्रतिवादी के नाम जरिए रजिस्टर्ड विक्रयपत्र आना बताया है एवं इससे पूर्व अनेको बार भूमि का रजिस्टर्ड विक्रयपत्रों के माध्यम से बेचान होना भी बताया है। हालांकि वादी ने अपने वादपत्र में रजिस्टर्ड विक्रयपत्रों को प्रभावशून्य घोषित करने की मांग की है परन्तु इसके मूल में रजिस्टर्ड विक्रयपत्रों को निरस्त किए जाने का निहितार्थ छिपा हुआ है। रजिस्टर्ड विक्रयपत्रों के निरस्ती का क्षेत्राधिकार राजस्व न्यायालय को नहीं होकर सिविल न्यायालय को है एवं यही मत प्रतिवादी के अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत न्याय दृष्टान्तो में व्यक्त किया गया है। फलस्वरूप प्रतिवादी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सी0पी0सी0 स्वीकार किया जाना न्यायोचित है।

आदेश

अतः उपरोक्त विवेचन के अनुसार वाद संख्या 152/2019 उनवानी प्रभुदयाल बनाम नारायण वगैरा एवं टी0आई0 संख्या 14/2024 उनवानी

उपखण्ड अधिकारी
गंगापुर सिटी (राज0)

प्रभुदयाल बनाम पप्पू वगैरा की सुनवाई का क्षेत्राधिकार इस न्यायालय को नहीं होने के कारण प्रतिवादी पप्पू बैरवा द्वारा आदेश 7 नियम 11 सी0पी0सी0 के तहत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किए जाकर ये दोनों प्रकरण खारिज किए जाते हैं साथ ही दिनांक 2.2.2024 को प्रकरण संख्या 14/2024 में जारी अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा आदेश निरस्त किया जाता है।

पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 3.4.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अनूप सिंह)
उप जिला कलक्टर
गंगापुर सिटी

उपखण्ड अधिकारी
गंगापुर सिटी (राज०)